भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1078

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>आंतरिक शिकायत समिति</u>

1078. डॉ. शशि थरूर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के गठन का खुलासा करने को अनिवार्य बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 2013 को संशोधित करने और ऐसी आईसीसी के गठन के खुलासे को अनिवार्य करने के प्रावधान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास निजी कंपनियों सहित सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) की संख्या पर कोई आंकड़ा है, जिन्होंने आईसीसी गठन नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दंडात्मक कार्रवाई सहित कोई सुधारात्मक उपाय उन सरकारी उपक्रमों के विरूद्ध करने का है, जिन्होंने अभी आईसीसी स्थापित नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत किसी कंपनी की निदेशक रिपोर्ट में आंतरिक शिकायत समिति के गठन की जानकारी अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने पर विचार करने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। ऐसे अनुरोध के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में कोई संशोधन करना अपेक्षित नहीं है। तथापि इस तथ्य को देखते

....2/-

हुए कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 में अनुपालन संबंधी प्रकटीकरण सहित यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित सभी पक्षों पर अलग से प्रावधान किया गया है अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अलग प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से बाद में उत्तर भी प्राप्त हो गया है।

(घ) और (ड़): लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 19 अगस्त, 2014 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अनुरोध किया है कि वे उपक्रमों में एक डब्ल्यूआईपीएस सेल (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला प्रकोष्ठ) का गठन करें। तथापि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सीधे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा उन केंद्रीय सार्वनजिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में कोई केंद्रीकृत सूचना नहीं रखी जा रही जिन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने या आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)/डब्ल्यूआईपीएस सेल के संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई करना संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का दायित्व है।

*****